

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
16.03.2022 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2469 का उत्तर

चौकीदार रहित समपारों पर दुर्घटनाएं

2469. श्री गोपाल शेड्डी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

- (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चौकीदार रहित समपारों पर हुई दुर्घटनाओं का ज़ोन-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) इन हादसों में मरने वाले और घायल हुए व्यक्तियों की ज़ोन-वार संख्या कितनी है;
- (ग) पीड़ितों के परिवारों को भुगतान की गई मुआवज़े की ज़ोनवार कुल राशि कितनी है; और
- (घ) सरकार द्वारा रेल दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

चौकीदार रहित समपारों पर दुर्घटनाएं के संबंध में दिनांक 16.03.2022 को लोक सभा में श्री गोपाल शेट्टी के अतारांकित प्रश्न सं. 2469 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण

(क) और (ख): पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान, भारतीय रेल पर बिना चौकीदार वाले समपारों पर केवल 03 परिणामी रेलगाड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। उक्त सभी 03 दुर्घटनाएं वर्ष 2018-19 के दौरान हुई, जिसमें पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और दक्षिण रेलवे पर एक-एक दुर्घटना हुई। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान कोई परिणामी रेलगाड़ी दुर्घटना नहीं हुई, क्योंकि 31.01.2019 तक बड़ी लाइनों पर सभी बिना चौकीदार वाले समपारों को समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान हुई उक्त 03 दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या का जोन-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्षेत्रीय रेलवे	मृतकों की संख्या	दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की संख्या
पूर्व मध्य	1	0
पूर्वोत्तर	13	5
दक्षिण	2	2
कुल	16	7

(ग): रेल अधिनियम, 1989 में बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। बहरहाल, कभी-कभी एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण), उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पीड़ितों द्वारा दायर किए गए दावों के मामलों पर मुआवजा देती है और फिर रेलवे मुआवजे का भुगतान करती है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2018-19 से 2020-21 के दौरान बिना चौकीदार वाले समपारों पर हुई दुर्घटनाओं के पीड़ितों के परिवारों को दिए गए मुआवजे का जोन-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्षेत्रीय रेलवे	वर्षवार भुगतान की गई राशि (रु. में)		
	2018-19	2019-20	2020-21
मध्य	0	0	0
पूर्व मध्य	0	0	0
पूर्व तट	0	0	0
पूर्व	0	0	0
उत्तर मध्य	0	0	0
पूर्वोत्तर	0	0	0
पूर्वोत्तर सीमा	0	0	0
उत्तर	0	0	0
उत्तर पश्चिम	0	0	0
दक्षिण मध्य	0	0	24,97,903*
दक्षिण पूर्व	0	0	0
दक्षिण पूर्व मध्य	0	0	0
दक्षिण	0	0	0
दक्षिण पश्चिम	0	0	0
पश्चिम मध्य	0	0	0
पश्चिम	0	0	0

* दक्षिण मध्य रेलवे ने वर्ष 2004 और 2011 के दौरान बिना चौकीदार वाले समपारों पर हुई दुर्घटनाओं के लिए वर्ष 2020-21 में 24,97,903 रुपये के मुआवजे का भुगतान किया है।
टिप्पणी: किसी एक वर्ष में भुगतान किया गया मुआवजा अनिवार्य रूप से उस वर्ष में हुई दुर्घटनाओं/हताहतों से ही संबंधित नहीं होता है। एक वर्ष में भुगतान की गई राशि दुर्घटना के वर्ष

पर ध्यान दिए बिना किसी वर्ष विशेष में रेलवे दावा अधिकरणों या अन्य न्यायालयों द्वारा अंतिम रूप दिए गए मामलों की संख्या पर निर्भर करती है।

(घ): भारतीय रेल द्वारा संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और दुर्घटनाओं को रोकने और यात्रियों की संरक्षा बढ़ाने के लिए निरंतर आधार पर सभी संभव कदम उठाए जाते हैं। रेल दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम/उपाय किए गए हैं -

1. राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष को वर्ष 2017-18 में पांच वर्षों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के कोष के साथ महत्वपूर्ण संरक्षा परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन/नवीकरण/उन्नयन के लिए शुरू किया गया था, जिसका वार्षिक परिव्यय 20,000 करोड़ रुपये है।
2. मानव विफलता के कारण दुर्घटना को समाप्त करने के लिए 31-01-2022 तक 6292 स्टेशनों पर प्वाइंटों और सिगनलों के केंद्रीकृत परिचालन के साथ इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है।
3. दिनांक 31-01-2022 की स्थिति के अनुसार, 6273 स्टेशनों पर मानव तत्व के बजाय विद्युतीय साधनों द्वारा रेलपथ अधिभोग के सत्यापन के लिए संरक्षा बढ़ाने के लिए स्टेशनों की रेलपथ परिपथन की व्यवस्था की गई है।
4. दिनांक 31.01.2022 तक 5958 ब्लॉक खंडों पर अगली गाड़ी को लाइन क्लियर देने से पहले मानवीय हस्तक्षेप के बिना रेलगाड़ी का आगमन सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर की व्यवस्था की गई है।
5. रेल फाटकों पर संरक्षा बढ़ाने के लिए 31-01-2022 तक 10731 रेल फाटकों पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है।
6. लोको पायलटों की सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए सभी बिजली रेल इंजनों में सतर्कता नियंत्रण उपकरण लगाए गए हैं।
7. रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड को मास्ट पर लगाए जाने की व्यवस्था है जो विद्युतीकृत क्षेत्रों में सिगनलों से दो ओएचई पहले स्थित होता है ताकि कोहरे के मौसम के कारण दृश्यता कम होने पर क्रू को आगे के संकेत के बारे में चेतावनी दी जा सके।

8. कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में लोकोमोटिव पायलटों के लिए जीपीएस आधारित फॉग पास डिवाइस की व्यवस्था की गई है जो लोको पायलट को आने वाले स्थानों जैसे सिगनल, रेल फाटकों आदि की सटीक दूरी का पता लगाने में सक्षम बनाता है।
9. प्राथमिक रेलपथ नवीकरण करते समय 60 किग्रा की आधुनिक रेलपथ संरचना, 90 अल्टीमेट टेन्सिल स्ट्रेंथ रेल, प्रीस्ट्रेसड कंक्रीट स्लीपर (पीएससी) लोचदार फास्टनिंग के साथ सामान्य/चौड़ी सतह के स्लीपर, पीएससी स्लीपरों पर फैनशेपड लेआउट टर्नआउट, गर्डर पुलों पर स्टील चैनल/एच-बीम स्लीपर्स का उपयोग किया जाता है।
10. वेल्ड/रेल फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए रेल पटरियों पर पेट्रोलिंग की जाती है।
11. पटरियों का अल्ट्रासोनिक दोष का पता लगाने का परीक्षण किया जाता है ताकि दरारों का पता लगाया जा सके और समय पर दोषपूर्ण पटरियों को हटाया जा सके।
12. जीपीएस ट्रैकर कीमैन और पेट्रोलमेन को उनके संचलन की निगरानी करने और उनके द्वारा देखी गई किसी भी असुरक्षित स्थिति की तत्काल रिपोर्ट करने के लिए दिए जाते हैं।
13. सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने और देश भर में रेल दुर्घटनाओं पर नजर बनाए रखने के लिए रेल परिसंपत्तियों (रेल डिब्बों और वैगनों) का निवारक अनुरक्षण किया जाता है।
14. भारतीय रेल ने पहले ही संशोधित सेंटर बफर कपलर्स, बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम (बीएमबीएस), बेहतर सस्पेंशन डिजाइन और डिब्बों में स्वचालित आग और धुएं का पता लगाने वाली प्रणालियों की व्यवस्था के माध्यम से रेल डिब्बों और वैगनों के संरक्षा पहलुओं में तकनीकी उन्नयन को अपना लिया है।
15. एलएचबी डिजाइन रेल डिब्बों के साथ पारंपरिक आईसीएफ डिजाइन रेलडिब्बों का प्रतिस्थापन।
